



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

दिनांक-30.09.2026

कोतवाली- कायमगंज

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.कुलदीप पुत्र सत्यराम यादव 2.आशीष पुत्र नानिक राम यादव निवासीगण ग्राम भटासा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0-400/2016 वाद संख्या99/2017 धारा 354ए, 376/511 भादवि0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-2/एससी एसटी कोर्ट द्वारा दिनांक 30.09.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 06 वर्ष की सजा व 25000-25000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी - श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय



एडीजीसी - श्री अनुज कुमार कटियार



को0 मो0 का0 बन्टी कुमार



पैरोकार - का0 श्रीकृष्ण

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना- नवाबगंज

दि०-30.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त संजय यादव पुत्र प्रेम सिंह यादव निवासी इमादपुर समैची(मदैया) थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०-686/2011 वाद संख्या 5292/2012 धारा 420,467,468,471 भादवि० थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एसीजेएम कोर्ट द्वारा दिनांक 30.09.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास की सजा 6000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्री आशीष कुमार



को० मो० का० प्रिंस कुमार



पैरोकार हे०का० विपिन
कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना - कमालगंज

दि०-30.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. छविनाथ पुत्र सूबेदार यादव 2. कश्मीर पुत्र सूबेदार यादव निवासीगण पेरी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स० - 76/2002 वाद संख्या 189/2010 धारा 302/34, 307/34, 506 भादवि० थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-०१ कोर्ट द्वारा दिनांक 30.09.2026 को प्रत्येक को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 30000/- 30000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी-श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी-श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय



को० मो० - हे० का० अजय कुमार



पैरोकार- हे० का० मो० हारून



फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 30.09.2026



कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा दिनांक 29.09.2026 को गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 251/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मुकेश पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम भटमई थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।



बरामदगी का विवरण :-

01. एक अवैध तमंचा
02. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त मुकेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 251/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद।
2. मु0अ0सं0 258/2022 धारा 60 EX ACT थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद।

मीडिया सेल फतेहगढ़।